

प्रेस नोट 18.05.19

- 1.दिनांक 17.05.19 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सहबाज पुत्र मो0 इलियास निवासी तरकारी मण्डी चौक थाना को0नगर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 397/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 2.दिनांक 17.05.19 को वादी उ0नि0 श्री अमित सिंह थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पुष्कर सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी सलारपुर थाना कैण्ट, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद पम्प एक्शन गन 12 बोर बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 185/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 3.दिनांक 17.05.19 को वादी श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी निवासी राजकीय मेडिकल कालेज दर्शननगर द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं0 यूपी 42 जेड 0361 सुपर स्पेलेण्डर चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 289/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया
- 4.दिनांक 17.05.19 को वादी श्री प्रत्यूष प्रशान्त सिंह पुत्र स्व0 विनोद सिंह निवासी मेदनीपुर निशा थाना को0रुदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे चोटे आने के कारण इलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 219/19 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 5.दिनांक 17.05.19 को वादी श्री ओम प्रकाश सोनी पुत्र राम अभिलाख सोनी निवासी रामपुर भगन थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरुण कुमार निवासी रामपुर भगन थाना तारुन अयोध्या आदि 3 नफर अभि0गण द्वारा अकारण ही गाली देना, मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 115/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 6.दिनांक 17.05.19 को वादी श्री विजय कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी रेवना थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एटी 9192 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 235/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 7.दिनांक 17.05.19 को वादी श्री सुधाकर दूबे अवर अभियंता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र रानी बाजार, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मस्तान पुत्र सत्तार निवासी अरमा रूपीपुर थाना इनायतनगर अयोध्या अभियुक्त द्वारा कटिया लगाकर विद्युत चोरी कर 3 हार्सपावर का मोटर चलाना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 241/19 धारा 135(1)ए विद्युत अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 8.दिनांक 17.05.19 को वादी श्री श्रवण कुमार प्रसाद अवर अभियंता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र बाबा बाजार, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्री पिन्टू यादव पुत्र चन्द्रिका प्रसाद निवासी गौरी का पुरवा मजरे फिरोजपुर मखदूकी थाना को0रुदौली, अयोध्या अभि0गण द्वारा विद्युत मीटर के आगे कनेक्शन जोड़कर विद्युत चोरी कर आर0ओ0 प्लान्ट चलाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 170/19 धारा 135 विद्युत अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 9.दिनांक 17.05.19 को वादी श्री श्रवण कुमार प्रसाद अवर अभियंता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र बाबा बाजार, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 राम बहादुर सिंह निवासी अमराई गाँव थाना मवई, अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा विद्युत मीटर के आगे कनेक्शन जोड़कर विद्युत चोरी कर उपभोग करना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु0अ0सं0 133/19 धारा 135 विद्युत अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- 10.दिनांक 17.05.19 को वादी उ0नि0 श्री कन्हैया कुमार थाना मवई, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरेश पुत्र हरीराम निवासी मवई थाना मवई, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु0अ0सं0 134/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।